

प्रेषक,
निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश।
सेवा में,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन,
समाज कल्याण अनुभाग-3

पत्रांक- 3317-19 /स0क0/शिक्षा-अ/ / /2025-26

लखनऊ : दिनांक 22 दिसम्बर, 2025

विषय:-वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान हेतु संशोधित समय-सारिणी का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषय शासनादेश संख्या-115/2025/1730/26-3-2025- 1741061 दिनांक 10-06-2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत प्रदेश के अन्दर एवं वाह्य प्रदेशों में (राजकीय/अनुदानित शिक्षण संस्थानों के केवल सामान्य वर्ग के छात्र) संचालित शिक्षण संस्थाओं (उच्च कक्षाओं) द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, ऑनलाइन आवेदन तथा छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु समय-सारिणी जारी की गयी है।

2- उल्लेख करना है कि कतिपय जनपदों द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में संस्थान/विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी स्तर से मास्टर डाटा लॉक नहीं किया जा सका है। तत्कम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्थाओं को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन से छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु निम्नानुसार संशोधित समय-सारिणी प्रस्तावित है :-

क्र0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
	मास्टर डाटा लॉक की कार्यवाही	
1	शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना। वाह्य प्रदेश (सामान्य वर्ग) में स्थित शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करना तथा योजनाधिकारी/नोडल अधिकारी, मुख्यालय द्वारा पासवर्ड प्रदान किया जाना। मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं (प्रदेश व वाह्य प्रदेश) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेंसी/	23 दिसम्बर, 2025 से 02 जनवरी, 2026 तक

	विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	
2	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा फीस आदि का सत्यापन प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।	23 दिसम्बर, 2025 से 09 जनवरी, 2026 तक
3	मास्टर डाटा का सत्यापन समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रख्यापित नियमावलियों में उल्लिखित व्यवस्थानुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रदेश के अन्दर शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करके लॉक किया जायेगा। राजकीय/अनुदानित शिक्षण संस्थानों में तथा निजी शिक्षण संस्थानों में ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें सक्षम प्राधिकारी स्तर से शुल्क का निर्धारण किया गया है उन पाठ्यक्रमों की फीस को विश्वविद्यालय द्वारा लॉक की गयी फीस की सीमा के अधीन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा लॉक करना।	23 दिसम्बर, 2025 से 15 जनवरी, 2026 तक
4	अल्पसंख्यक वर्ग हेतु एन.एस.पी. पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों की मार्किंग किया जाना मास्टर डाटा में सम्मिलित व एन.एस.पी. पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों की जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर मार्किंग किया जाना।	10 जुलाई, 2025 से 22 फरवरी, 2026 तक
छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन/भुगतान आदि की प्रक्रिया		
5	छात्र द्वारा रजिस्ट्रेशन/ऑनलाइन आवेदन	10 जुलाई, 2025 से 14 जनवरी, 2026 तक
6	छात्र द्वारा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालना छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन फाइनल सबमिशन किया जाना।	12 जुलाई, 2025 से 17 जनवरी, 2026 तक
7	हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	21 जनवरी, 2026 तक
8	शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	11 जुलाई, 2025 से 27 जनवरी, 2026 तक
प्रथम चरण		
9	शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	10 दिसम्बर, 2025 तक

10	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था में अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	11 दिसम्बर, 2025 से 22 दिसम्बर, 2025 तक
11	एन0आई0सी0 द्वारा स्कूटनी PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना।	11 दिसम्बर, 2025 से 26 दिसम्बर, 2025 तक
12	जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा लॉक करना जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	26 दिसम्बर, 2025 से 10 जनवरी, 2026 तक
13	मांग सृजन जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	15 जनवरी, 2026 तक
14	धनराशि का अन्तरण जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड/एन0पी0सी0आई0 से मैण्ड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित करने की कार्यवाही।	24 जनवरी, 2026 तक
द्वितीय चरण		
15	शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	11 दिसम्बर, 2025 से 27 जनवरी, 2026 तक
16	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था में अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	28 जनवरी, 2026 से 07 फरवरी, 2026 तक
17	एन0आई0सी0 द्वारा स्कूटनी PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर व छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र की लागिन पर उपलब्ध कराना।	28 जनवरी, 2026 से 09 फरवरी, 2026 तक
18	त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लागिन में प्रदर्शित किया जाना तथा छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक किया जाना।	10 फरवरी, 2026 से 13 फरवरी, 2026 तक
19	छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना शिक्षण संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	18 फरवरी, 2026 तक

20	एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्कूटनी छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण करके जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना।	19 फरवरी, 2026 से 27 फरवरी, 2026 तक
21	जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	10 मार्च, 2026 तक
22	मांग सृजन जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	13 मार्च, 2026 तक
23	धनराशि का अन्तरण जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा वाले छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से आधार सीडेड/एन0पी0सी0आई0 से मैपड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित करने की कार्यवाही।	18 मार्च, 2026 तक

नियमावली में समस्त हितधारकों द्वारा उपरोक्त समय-सारिणी में उल्लिखित व्यवस्थाओं के साथ-साथ निर्धारित समयावधि में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- संस्था स्तर से छात्रों के आवेदन पत्र अग्रसारण की कार्यवाही सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला कल्याण अधिकारी के स्तर से मास्टर डाटा (कोर्स, फीस व सीट) लॉक होने के उपरांत ही की जायेगी।
- 2- उक्त समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks) होने पर अथवा सम्बन्धित पाठ्यक्रम की परीक्षा आयोजित हुई है, किन्तु परीक्षाफल घोषित नहीं हुआ है, की स्थिति में छात्र अपने आवेदन पत्र का नवीनीकरण करेंगे।
उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks) न होने पर अथवा सम्बन्धित पाठ्यक्रम की परीक्षा आयोजित न होने पर शिक्षण संस्था द्वारा आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं किया जायेगा। परीक्षा आयोजित होने के पश्चात परीक्षाफल घोषित न होने की स्थिति में संस्था द्वारा Result Not Yet Declared आप्शन चुनकर आवेदन को फ्रीज किया जायेगा तथा संस्था स्तर पर आवेदन पत्र संशोधन किये जाने की अवधि में एन0आई0सी0 द्वारा संशोधन हेतु संस्था की लागिन पर प्रेषित किया जायेगा, जिससे कि पाठ्यक्रमों में परीक्षाफल घोषित होने की स्थिति में पूर्णांक/प्राप्तांक को संस्था द्वारा भरा जायेगा। उक्त निर्देशों का विचलन किये जाने पर संस्था के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- नवीनीकरण छात्र की अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या (Enrollment Numer) को संस्था द्वारा अंकित किया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित करते समय परीक्षाफल घोषित होने की स्थिति छात्र का गत वर्ष का परीक्षाफल (सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का पूर्णांक एवं प्राप्तांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत सही रूप में भरना अनिवार्य होगा।

- 5- विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने लॉगिन से निर्धारित माड्यूल पर अपलोड किया जायेगा, जिससे कि छात्र द्वारा आवेदन करते समय ही परीक्षा परिणाम से मिलान लाइव हो सके तथा स्कूटनी के समय मिलान किया जा सके।
- 6- विभिन्न हितधारकों के स्तर से लम्बित अवशेष पात्र छात्रों को अगले चरण में सम्मिलित किया जायेगा।
- 7- किसी भी हितधारक के स्तर पर प्राप्त आवेदनों पर समयान्तर्गत निर्णय लिया जायेगा। आवेदन पत्र को सही होने की स्थिति में वेरीफाई करके अग्रसारित किया जायेगा तथा गलत होने की स्थिति में निरस्त किया जायेगा। किसी भी दशा में अपने स्तर पर लम्बित नहीं रखा जायेगा। शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेन्सी तथा जनपदीय कल्याण अधिकारी के स्तर पर आवेदन लम्बित होने पर सम्बन्धित नोडल अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
- 8- सम्बन्धित हितधारकों के लिए रिसेट का विकल्प अंतिम तिथि के सायंकाल 6:00 बजे तक लागू रहेगा।

अतः शासन से अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी को मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की ओर से शासनादेश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

Digitally signed by

KUMAR PRASHANT

Date (22-12-2025)

12:04:23 निदेशक

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 2- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त व्यवस्था के क्रम में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।